

265

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक २१ अगस्त, १९९६ (श्रावण ३०, १९९८)

समय १०.३० बजे दिन

१. निधन उल्लेख.

श्री बलवन्त सांगले, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

२. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यानाकर्षण

- (१) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, बृजमोहन अग्रवाल, बच्चन नायक, सदस्य, रायसेन जिले की सोम डिस्ट्रिलरी के जहरीले पानी से बेतवा नदी की मछलियों की मौत होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (२) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा करये जा रहे कार्यों का श्रमिकों को भुगतान न हो पाने के संबंध में लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (३) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम कुटुरबा में नाबातिंग छात्रों का धर्म परिवर्तन करये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (४) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले की सक्ती तहसील के कांदानगर में एक गइस मिल मालिक द्वारा विद्युत शुल्क की चोरी किए जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

४. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.

श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाइसर्वा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

'सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसर्वे प्रतिवेदन से सहमत है.'

५. वर्ष १९९६-९७ के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री अजय मुशरफ, वित्त मंत्री, वर्ष १९९६-९७ के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

६. शासकीय विधि विषयक कार्य.

निर्धारित

समय

३ घन्टे

(शेष २ घन्टे

२५ मिनट)

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेदक, १९९६ (क्रमांक ११ सन् १९९६) पर विचार किया जाय- चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेदक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेदक पारित किया जाय.

७. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

१ घन्टा

३० मिनट

प्रदेश में पेयजल की कमी एवं दूषित पेयजल से संक्रामक बीमारियां फैलने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सुरेन्द्र वर्मा, गिरिगज मण्डलोई, गोपाल परमार, नेमीचंद जैन, रणजीत सिंह गुणवान, घनश्याम पाटीदार, डॉ. गोविंद सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अगवाल, गोपीकृष्ण नेमा, रघुनन्दन शर्मा, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, छत्रपति सिंह, निर्भय सिंह पटेल एवं बनवारीलाल अगवाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

८. नियम १४२-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा.

४५ मिनट

प्रदेश की अधूरी सिंचाई/लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, उदय मुदलियार, बच्चन नायक, छत्रपति सिंह एवं रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल.

दिनांक २० अगस्त, १९९६.